Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में राजस्थान पथ परिवहन निगम डिपो–तिजारा का मैनेजर 5 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *11 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की अलवर इकाई द्वारा आज मंगलवार को कार्यवाही करते हुये दीपचन्द सांखला डिपो मैनेजर (ऑपरेशन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डिपो–तिजारा, अलवर को परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके अवकाश काल का निर्णय पक्ष में करने तथा लम्बे रूट पर ड्यूटी से रिलैक्स करने की एवज में दीपचन्द सांखला डिपो मैनेजर (ऑपरेशन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डिपो–तिजारा, अलवर द्वारा 6 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अलवर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री प्रेमचंद** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दीपचन्द सांखला पुत्र श्री रतन लाल सांखला निवासी वार्ड नं. 19, नवलगढ़ झुंझुनूं हाल डिपो मैनेजर (ऑपरेशन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डिपो–तिजारा, अलवर को परिवादी से 5 **हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।